संख्या-35/2022/1647/001-2162809-2022

बजट पोर्टल संख्या-ए058-20222023-001-2161424-2022

प्रेषक,

आनन्द कुमार राय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 18 जुलाई, 2022**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-47/बजट पत्रा0/2022-23, दिनांक 12.07.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में निहित निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष-2022-23 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत 2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन(के.60/रा.40 - के. + रा.) की योजना में गत वर्ष प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष अवशेष केन्द्रांश रू0-33.86 लाख में लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8901-राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजनान्तर्गत आय व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 7234.73 लाख के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि रू0 22.57 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रू0 56.43 लाख (धनराशि रू छप्पन लाख तिरालिस हजार मात्र) को निम्नलिखित विवरण के अनुसार उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1.स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

2.प्रस्ताव में ऑकड़ों की शुद्धता का दायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा।

3.प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान कीे सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह प्रशासकीय विभाग का उत्तरदायित्व रहेगा।

4.वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व प्रशासकीय विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

5.जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6.प्रशा0 विभाग सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें।

7.विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

8.कोषागार से एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

9.व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11.धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय लेखाशीर्ष: 2401001190101 (राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के. 60/ रा. 40-के.))

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	010	2401001190101 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के. 60/ रा. 40-के.)	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
2	010	2401001190101 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के. 60/ रा. 40-के.)	27 सब्सिडी	23,06,000 (रुपये तेईस लाख छह हजार मात्र)
3	010	2401001190101 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के. 60/ रा. 40-के.)	42 अन्य व्यय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
4	010	2401001190101 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के. 60/ रा. 40-के.)	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1,80,000 (रुपये एक लाख अस्सी हजार मात्र)
	कुल			**33,86,000** **(रुपये तैंतीस लाख छियासी हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2401001198901 (राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	010	2401001198901 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
2	010	2401001198901 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना	27 सब्सिडी	15,37,000 (रुपये पंद्रह लाख सैंतीस हजार मात्र)
3	010	2401001198901 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना	42 अन्य व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
4	010	2401001198901 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1,20,000 (रुपये एक लाख बीस हजार मात्र)
	कुल			**22,57,000** **(रुपये बाईस लाख सत्तावन हजार मात्र)**
महायोग				56,43,000 (रुपये छप्पन लाख तैंतालीस हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E1-90-X2022-23-दिनांक:15-7-2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

आनन्द कुमार राय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-35/2022/1647(1)/001-2162809-2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

2- महालेखाकार, लेखा परीक्षक, प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

3- वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, निदेशालय, लखनऊ।

4- निदेशक, कृषि विभाग, कृषि भवन, लखनऊ।

5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, उद्यान, उत्तर प्रदेश।

7- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

8- समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

9- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार राय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।